Fax.: (05452) 252244, 252344
Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ0प्र0)

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांक: 6249 /पू.वि.वि./एन.ओ.सी.सेल./2019
दिनांक : 19-6-19

सेवा में,

प्रबन्धक,
शहजादा मुस्लिम महाविद्यालय,
कर्मा बहुअरा दिलदार नगर गाजीपुर ।

विषयः– प्रस्तावित नवीन महाविद्यालय की स्थापना/संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 24.12.2018 के सन्दर्भ में सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–2103/सत्तर–2–2012–2(166)/2002, दिनांक–09 अगस्त 2012 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय स्तर पर अनापत्ति प्रस्तावों के निस्तारण हेतु कुलपति जी द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 10.06.2019 में सम्यक जॉचोपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा प्रस्तावित शहजादा मुस्लिम महाविद्यालय, कर्मा बहुअरा दिलदार नगर गाजीपुर में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, उर्दू, मध्यकालीन इतिहास, भूगोल, गृहविज्ञान विषयों/पाठ्यक्रमों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. संस्था के अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा प्रस्तावित महाविद्यालय के संचालन हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि के अभिलेखों की जॉच के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी, सेवराई गाजीपुर के पत्र संख्या–644/12–भू0सु0/2019 दिनांक 23 अप्रैल 2019 द्वारा संस्तुति की गयी है कि ग्राम करमा त0 सेवराई जिला गाजीपुर में गाटा संख्या– 177, 205, कुल रकबा 1.0440 हे0 यानि 10440 वर्गमीटर भूमि है, जिसके सभी गाटे आपस में संयुक्त है। महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेख में भूमि अंकित है। तद्आलोक में आदेशानुसार प्रस्तावित महाविद्यालय को अनापत्ति/निर्बाधन पत्र निर्गत किया जा रहा है। भूमि की अन्यथा की स्थिति में दी गयी अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
2. उक्त विषय/पाठ्यक्रम में प्राचार्य/प्रवक्ताओं एवं स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा एवं इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी।
3. उक्त पाठ्यक्रम/विषय में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी, जब यह संस्था शासनादेश संख्या–3075/सत्तर–2–2000–2(166)/2002, दिनांक–27 सितम्बर 2002 एवं समय–समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।
4. उक्त पाठ्यक्रम/विषय के बाबत किसी लायबिलिटी से इस विश्वविद्यालय का कोई सरोकार नहीं होगा तथा संस्था भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो विश्वविद्यालय से माँग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्वों की देनदारी विश्वविद्यालय की होगी।
5. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ।
6. उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय से सम्बद्धता की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही दिया जायेगा ।
7. यह अनापत्ति संस्था द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अभिलेख/प्रपत्रों/प्रविष्टियों के आधार पर प्रदान की जा रही है तथा यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी जाती है तो अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं इसके लिए सचिव/प्रबंधक, प्रबंध समिति स्वंय जिम्मेदार होगें।
8. महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त सूचना प्रदर्शित करेगे।
9. Aishe में पंजीकरण अग्रिम वर्षो के अन्तर्गत कराना अनिवार्य होगा।
10. विश्वविद्यालय परीक्षा एवं अन्य शुल्कों के अग्रिम वर्षो का अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. अनापत्ति सत्र 2019–20 हेतु निर्गत होगा।
12. ज0वि0 अधिनियम की धारा 143/ भूराजस्व संहिता की धारा 80 (1) के अन्तर्गत भूमि के अकृषित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

भवदीय,
19/06/19
कुलसचिव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
2. निदेशक, उच्चशिक्षा, उच्चशिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
4. उपजिलाधिकारी, सैदपुर गाजीपुर।
5. गार्ड फाईल/सम्बन्धित पत्रावली ।

कुलसचिव